



सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर के मुख्य आयुक्त का कार्यालय
Office of the Chief Commissioner, Customs & Central Tax,
विशाखपट्टणम क्षेत्र Visakhapatnam Zone



प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र, विशाखपट्टणम - 530035
1st Floor, GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam – 530035
(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942 estt.ccovz-
cbec@nic.in

स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं. 04/2023 (आशु लिपिक ग्रेड - I)
Establishment Order (N.G.O) No. 04/2023 (Steno Gr I)

आशुलिपिक ग्रेड - II के संवर्ग से आशुलिपिक ग्रेड - I संवर्ग में पदोन्नती के संबंध में प्रधान आयुक्त केंद्रीय कर (सीसीए), हैदराबाद द्वारा जारी स्थापना आदेश (अराजपत्रित) संख्या 132/2022 दिनांक 30.12.2022 के अनुसार विशाखापट्टणम सीजीएसटी जोन के आवंटन पर, श्री पी. लक्ष्मी राजेश को , तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) विजयवाडा में तैनाती के आदेश दिए जाते हैं ।

Shri P Lakshmi Rajesh, Steno Gr II promoted to the cadre of Steno Gr I vide EO (NGO) No. 132/2022 dated 30.12.2022 by the Principal Commissioner of Central Tax, Hyderabad CGST Commissionerate (CCA), Hyderabad, and on allotment to Visakhapatnam Zone, is posted to Customs Commissionerate (Preventive), Vijayawada with immediate effect and until further orders.

2. श्री पी. लक्ष्मी राजेश को आदेश दिए जाते हैं की प्रधान आयुक्त केंद्रीय कर (सीसीए) , हैदराबाद द्वारा जारी स्थापना आदेश (अराजपत्रित) संख्या 132/2022 दिनांक 30.12.2022 जारी होने के 30 दिनों को अंदर आशुलिपिक ग्रेड - I के संवर्ग में सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) विजयवाडा में रिपोर्ट करें । प्रधान आयुक्त केंद्रीय कर (सीसीए), हैदराबाद द्वारा जारी स्थापना आदेश (अराजपत्रित) संख्या 132/2022 दिनांक 30.12.2022 में उल्लेखित अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहती हैं।

Shri P Lakshmi Rajesh, is directed to report to Customs Commissionerate (Preventive), Vijayawada as Steno Gr I within 30 days of issuance of EO (NGO) No. 132/2022 dated 30.12.2022 by the Principal Commissioner of Central Tax, Hyderabad CGST Commissionerate (CCA), Hyderabad. All other terms and conditions mentioned in EO (NGO) No. 132/2022 dated 30.12.2022 by the Principal Commissioner of Central Tax, Hyderabad CGST Commissionerate (CCA), Hyderabad referred above remain unaltered.

3. संबंधित दस्तावेजों में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाए । Necessary entries may be made in relevant records

I/938298/2023

4. किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा । In case of any ambiguity English version will prevail.

5. यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, विशाखापट्टणम जोन के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Visakhapatnam Zone.

अपर आयुक्त / Additional Commissioner

[फाईल संख्या GCCO/II/(3)/7/2023-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM से जारी]
[Issued from file GCCO/II/(3)/7/2023-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM]

सेवा में/ To

संबंधित व्यक्तियों को।The Individuals

प्रतिलिपि:

1. प्रधान आयुक्त, केंद्रीय कर, हैदराबाद (सं.नि.प्रा.) ।
2. आयुक्त, सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) विजयवाडा ।
3. वेतन एवं लेखा अधिकारी / आहरण और संवितरण अधिकारी - सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) विजयवाडा
4. वेतन और लेखा अधिकारी, गुंटूर
5. सूचना पटल/वेबसाइट/स्टॉक फाइल ।

Copy to:

1. The Principal Commissioner of Central Tax, Hyderabad (CCA).
2. The Commissioner of Customs, Customs Commissionerate (Preventive), Vijayawada
3. CAO / DDO - Customs Commissionerate (Preventive), Vijayawada
4. PAO Guntur
5. Notice Board/website/Stock file.